किरायेदार संबंधी जानकारी

निजी जानकारी को सुरक्षित रखना

जब आप दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में किराये के परिसर के लिए आवेदन करेंगे, तो आपसे अपना आवेदन पूरा करने के लिए निजी जानकारी मांगी जाएगी।

यह जानकारी दुरुपयोग, हस्तक्षेप, हानि, अनधिकृत पहुंच, संशोधन या प्रकटीकरण के विरुद्ध कानून द्वारा संरक्षित है। कुछ जानकारी आपसे नहीं मांगी जा सकती, जिनके बारे में नीचे विस्तार से बताया गया है।

निजी जानकारी का निपटान

किरायेदार संबंधी जानकारी को निर्धारित समय-सीमा के भीतर नष्ट किया जाना होगा:

- आवेदन सफल होने की स्थिति में: किरायेदारी समाप्त होने के 3 वर्ष बाद
- असफल आवेदकों के लिए, किरायेदारी शुरू होने के 30 दिन बाद - या अगर आवेदक सहमत है, तो जानकारी देने के 6 महीने बाद। (ऐसा भविष्य के आवेदनों में सहायता के लिए हो सकता है।)

उपरोक्त समयसीमा 1 सितंबर 2023 से 12 महीने की संक्रमणकालीन अवधि के अधीन है।

निजी जानकारी का खुलासा

वह व्यक्ति जो किरायेदार की जानकारी **या संभावित किरायेदार की जानकारी** अपने पास रखता है, उसे जानकारी का खुलासा नहीं करना होगा, सिवाए:

- उस व्यक्ति की सहमति के जिसकी वह जानकारी है
- कानून द्वारा अपेक्षित या अधिकृत होने की स्थिति में या एक ऐसा आवासीय किरायेदारी एग्रीमेंट (समझौता) होने की स्थिति में जिसमें जानकारी प्रदान करने वाला व्यक्ति एक पक्ष हो

- किसी न्यायालय या न्यायाधिकरण के आदेश के अनुसार।

अगर आपकी किरायेदार संबंधी जानकारी के साथ इस तरह से व्यवहार किया गया है, जिससे जरूरी शर्तों का उल्लंघन होता है, तो आप अनुपालन की मांग करते हुए SACAT में आवेदन कर सकते हैं।

भ्रामक जानकारी

आवासीय किरायेदारी कानून, मकान मालिकों/एजेंटों, किरायेदारों और किरायेदारी के लिए आवेदन करने वालों के बीच किसी भी प्रकार की गलत जानकारी या गलत दस्तावेजों के आदान-प्रदान पर भी रोक लगाते हैं।

अनुचित जानकारी अनुरोध

मकान मालिक/एजेंट, संभावित किरायेदारों या किसी अन्य व्यक्ति से कुछ निश्चित प्रकार की जानकारी नहीं मांग सकते हैं।

इनमें शामिल हैं:

- आपने पहले कभी किसी मकान मालिक/एजेंट के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई की है या नहीं या उस पर कोई प्रतिक्रिया दी है या नहीं या आपका किसी मकान मालिक/एजेंट के साथ कोई आवासीय किरायेदारी विवाद हुआ है या नहीं
- आपको एग्रीमेंट के उल्लंघन के अधिनियम की धारा 80 (जैसे भुगतान न करना, संपत्ति को नुकसान पहुंचाना) के अंतर्गत किरायेदारी समाप्ति का नोटिस दिया गया है या नहीं
- आपके बांड का भुगतान पूर्णतः या आंशिक रूप से आवास सहायता कार्यक्रम (जैसे कि SA हाउसिंग अथॉरिटी बांड गारंटी) के माध्यम से किया जा सकता है या नहीं
- आपका बांड इतिहास और पिछले बांड पर कोई दावा किया गया है या नहीं
- आपने SA हाउसिंग अथॉरिटी (या किसी सहायक संस्था) के साथ किरायेदारी की है या नहीं
- आपके बैंक या वित्तीय स्टेटमेंट, जिसमें आउटगोइंग ट्रांसेक्शनों या बैंक अकाउंट नम्बर को संशोधित किया गया है या मिटाया गया है
- आपकी वित्तीय जानकारी, जिसमें आपके व्यय रिकॉर्ड, वित्तीय प्रथाएं (जब तक कि यह आपकी वित्तीय क्षमता से संबंधित न हो) और दिवालियापन से मुक्ति शामिल है
- आपके रोजगार से संबंधित जानकारी (वेतन पर्ची या आपके रोजगार की पुष्टि करने वाले दस्तावेज़ को छोड़कर)
- ऐसी जानकारी जो *समान अवसर अधिनियम 1984* के अंतर्गत भेदभाव की स्थिति को उत्पन्न कर सकती है
- आपके मेडिकल रिकॉर्ड
- सोशल मीडिया सेवा पर आपसे संबंधित जानकारी
- आपका वाहन पंजीकरण नंबर
- आपके पालतू जानवर का माइक्रोचिप नंबर

- आपकी शिक्षा का स्तर
- आप जिस परिसर के लिए आवेदन कर रहे हैं, उसमें जाने का आपका कारण।

मकान मालिकों/एजेंटों को इन आवश्यकताओं के अनुपालन के लिए 2 अगस्त 2024 तक की छूट अवधि दी गई है।

और अधिक जानकारी

अधिक जानकारी के लिए:

- किरायेदार सूचना संबंधी गाइड में अधिकार और दायित्व देखें www.cbs.sa.gov.au/tenantinfoguide
- www.sa.gov.au/renting पर जाएं या 131 882 या www.cbs.sa.gov.au पर उपभोक्ता एवं व्यवसायिक सेवाओं से संपर्क करें।

इस तथ्य पत्र में दी गई जानकारी केवल सामान्य प्रकृति की है और इसे कानूनी सलाह और/या उपयुक्त आवासीय किरायेदारी कानून के संदर्भ के विकल्प के रूप में नहीं माना जाना चाहिए।